



आगरा विकास प्राधिकरण

नि.सू- 13/2011-12

संशोधित निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/आगरा विकास प्राधिकरण, के कार्यो का कम से कम चार वर्षो के समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव रखने वाले टेकेदारों/फर्मो से सिंगल बिड एवं डबल बिड (टेक्नीकल बिड एण्ड फाइनेंशियल बिड) में सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। कार्यो हेतु निविदायें **कॉलम-7** में अंकित तिथि को **अपराह्न 3:00 बजे तक** विकास प्राधिकरण, जयपुर हाऊस स्थित अधीक्षण अभियंता कक्ष, वित्त नियंत्रक कक्ष एवं सचिव कार्यालय, आगरा में रखे निविदा बॉक्स में प्राप्त की जायेगी। सिंगल बिड के आधार पर प्राप्त निविदा अथवा व्दि लिफाफा पध्दति से सम्बन्धित निविदाओं की टेक्नीकल बिड **उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे** उपस्थित निविदादाताओं, निविदा समिति के समक्ष प्राधिकरण सभागार में खोली जायेगी एवं प्राइस बिड कॉलम-8 में अंकित तिथि को **अपराह्न 3:30 बजे** खोली जायेगी:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अग्रिम धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्राप्ति/सिंगल बिड/टेक्नीकल बिड खोलने का दिनांक	शासनादेश के अनुसार आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	अर्जुन नगर में अधिषासी अभियन्ता श्री जीतेन्द्र कुमार के मन्दिर वाले मकान से हीरालाल की बगीची तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	6.59	13200	500	3 माह	7-9-2011	अनुसूचित जाति/जनजाति
2.	जे0पी0 कालोनी वेस्ट अर्जुन नगर में श्री आर0पी0 सुधाकर के मकान से श्री ताराचन्द्र जी के मकान तक गली व नाली निर्माण का कार्य।	5.78	11600	500	3 माह	7-9-2011	
3.	पुरानी विजय नगर कालोनी में कोठी नं0-1 से 32 तक हॉट मिक्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	23.96	48000	500	4 माह	7-9-2011	
4.	अर्जुन नगर में षिषु भारती स्कूल के सामने मुरारीलाल षर्मा के मकान से श्री ए0के0 दीक्षित तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.62	21250	500	3 माह	7-9-2011	अनुसूचित जाति/जनजाति
5.	अर्जुन नगर में सोना नगर से षान्ती कुंज तक हॉट मिक्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	7.23	14500	500	3 माह	7-9-2011	
6.	अर्जुन नगर स्थित ज्योति नगर की सड़कों का सुधार कार्य।	9.64	19300	500	3 माह	7-9-2011	अनुसूचित जाति/जनजाति
7.	नगला फकीर चन्द मन्दिर वाली गली में इण्टरलॉकिंग टाइल्स व नाली का निर्माण कार्य।	3.39	6800	250	3 माह	7-9-2011	
8.	अर्जुन नगर में पप्पू त्यागी के घर से पार्क तक एक गली का निर्माण कार्य।	3.88	7800	250	3 माह	7-9-2011	
9.	जनता कालोनी में पॉल स्टोर मुस्तफा क्वार्टर्स से लेकर षिवचरन के मकान तक सड़क निर्माण का कार्य।	4.84	9700	250	3 माह	7-9-2011	अनुसूचित जाति/जनजाति
10.	राजामण्डी चौराहे से नूरी गेट तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य। (पेवर द्वारा)	22.49	45000	500	4 माह	7-9-2011	
11.	नाई की मण्डी कक्कू की तीन गलियाँ, बर्तन वाली गली, आर्य समाज वाली गली व मजिस्द के सामने वाली गली की सड़क का निर्माण कार्य।	2.38	4,800/-	250/-	3 माह	7-9-2011	
12.	कम्बूटोला हॉस्पिटल रोड अल्लाफिया दवाखाना से वीना मेंदी कलाकुंज आदि गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	1.87	3,800/-	250/-	3 माह	7-9-2011	
13.	नाला मण्टोला में स्थित पन्टू खटीक वाली गली, मेवाती मजिस्द टीला अजमेरी खां, शरपटा अखाड़े वाली गली व मण्टोला टीलागंज में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8.54	17,100/-	500/-	3 माह	7-9-2011	अनुसूचित जाति/जनजाति
14.	महावीर सिनेमा के बगल में शाही मजिस्द के समीप पार्क का निर्माण कार्य।	24.26	48,600/-	500/-	3 माह	7-9-2011	
15.	सेन्ट जोन्स चौराहे का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	20.97	42,000/-	500/-	3 माह	7-9-2011	

- सम्बन्धित कार्य हेतु **निविदा प्रपत्र कालम-7** में अंकित निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक अपराह्न **2.00 बजे** तक प्राधिकरण कार्यालय स्थित, यूनिजन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में निविदा मूल्य जमाकर सभी सम्बन्धित **अधिषासी अभियन्ता के कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व निर्धारित अग्रिम धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 (राष्ट्रीयकृत बैंक) के रूप में जमा करनी आवश्यक होगी। एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 **अधिषासी अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होना अनिवार्य है। सिंगल बिड के कार्य हेतु** विभाग में पंजीकृत होने सम्बन्धी प्रमाण अनिवार्यतः देना होगा। निविदा मूल्य जमा करने की रसीद प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र निर्गत किया जायेगा। प्राधिकरण में पूर्व से उपलब्ध अथवा अवमुक्त की जा चुकी किसी प्रकार की जमानत अथवा धनराशि का उल्लेख करके निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे। अग्रिम जमानत धनराशि जो एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में होगी फर्म/प्रोपराइटर/पार्टनर के नाम होना अनिवार्य होगा। (नियम शर्त संख्या-2 सिंगल बिड की निविदाओं पर ही लागू होगी।)
- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि निविदा देने से पूर्व निविदा आइटम, रेट, मात्रा व कार्य स्थल की स्थिति एवं दशाओं का भली-भाँति निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन कर लें, निविदा देने के उपरान्त कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य न होगा। किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

4. प्राप्त समस्त निविदाओं अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के पक्ष में सुरक्षित रहेगा जिसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। निविदा दरें निविदा तिथि से तीन माह तक वैध रहेंगी।
5. अनुबन्ध हेतु **10 प्रतिशत** जमानत धन एवं स्टाम्प ड्यूटी (स्टाम्प पेपर जिला कोषागार से ही खरीद कर) नियमानुसार देय होगी। ठेकेदार के देयकों से प्रभावी व्यापार कर, आयकर, सरचार्ज, रायल्टी एवं उ0प्र0 शासन द्वारा लागू अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
6. निर्धारित तिथि को अवकाश हो जाने की स्थिति में निविदायें अगले कार्य दिवस को स्वतः निर्धारित मानी जाएंगी।
7. वर्तमान में जिन ठेकेदारों के पंजीकरण का नवीनीकरण हो चुका है वही ठेकेदार निविदा खरीदने के पात्र होंगे।
8. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्ता विनियमन) अधिनियम,1996 तथा प्रदेश नियमावली वर्ष 2009 के अर्न्तगत अधिष्ठानों के पंजीयन 30 दिन में होना अनिवार्य होगा।
9. निविदा दाता द्वारा दी गई दरों को अंकों व शब्दों में स्पष्ट निर्धारित स्थान पर लिखा जायेगा। दरों पर ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
10. आपूर्तिकर्ता (फर्म) द्वारा अग्निशमन विभाग एवं विद्युत संरक्षण विभाग से आवश्यक एन.ओ.सी. स्वयं प्राप्त करनी होगी।
11. विद्युत कार्यों के लिये विद्युत सुरक्षा निदेशालय से "क" श्रेणी अनुमोदित एवं नवीनीकृत लाइसेंसधारियों के लिये निविदा निर्गत होगी।
12. ओवर हैड लाईन एवं ट्रान्सफार्मर सम्बन्धी कार्य नियमानुसार सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा से कार्य समाप्ति उपरान्त प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा।
13. प्लान्ट कार्य के लिये प्लान्ट धारकों को अपने स्वामित्व के प्रमाणस्वरूप अभिलेख/बिल निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार प्रमाण/बिल प्रस्तुत करने एवं **प्लान्ट के सम्बन्ध में टी.टी.जैड क्षेत्र से बाहर होने का** शपथपत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा निर्गत की जायेगी।
14. प्लान्ट से सम्बन्धित सभी आवश्यक उपकरण ट्रिपर,रोलर, वैच मिक्स प्लान्ट आदि जो स्वयं के हों, बिल प्रस्तुत करने होंगे।
15. साइनेज के कार्यों हेतु निविदादाता द्वारा डायमण्ड ग्रेड फुल क्यूब-3 पॉली कार्बोनेट टाइप XI ASTM 4956-09 रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट के निर्माता (3M India Ltd., Every dennison अथवा इनके समकक्ष) द्वारा जारी कनवर्टरशिप एवं 10 वर्षों का वारन्टी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो मूल रूप से प्रस्तुत करने पर ही निविदा पत्र जारी किया जायेगा।
16. विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था के निर्माण कार्यों का रखरखाव फर्म को एक वर्ष तक करना होगा जिसके सन्तोषजनक होने के उपरान्त ही जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(आर.सी.रावत)
अधीक्षक अभियन्ता